(126)

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

::अधिसूचना ::

राँची, दिनांक– 15 दिसम्बर, 2012

संख्या–5/लि०से०–22–61/2012का० 13755/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उच्चवर्गीय लिपिकों के प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा के लिए नियुक्त प्राधिकार निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:–

प्रशिक्षण :– सेवा में पूर्व से नियुक्त लिपिकीय सेवा सम्वर्ग के प्रत्येक कर्मी को सम्वर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा संचालित आधुनिक कार्यालयी पद्धति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक होगा ।

विभागीय परीक्षा:– (1) निम्नवर्गीय लिपिकों एवं उच्चवर्गीय लिपिकों के लिए राजस्व पर्षद् द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

(2) विभागीय परीक्षा में कम्प्यूटर पर टंकण एवं कम्प्यूटर कार्य दक्षता का परीक्षण किया जायेगा । उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।

(3) विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उक्त विनियम के प्रभावी होने के पूर्व प्राप्त वेतनवृद्धि की अनुवर्त्ती वेतन वृद्धियाँ विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक असंचयात्मक रूप से रूकी रहेगी एवं

(4) इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
14/12/2012

(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव ।

125

ज्ञापांक-- 05/लि0से0–22–61/2012का0 13755/ राँची, दिनांक– 15 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. कृपया इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को तुरंत भेजें ।

Sd/- 14/12/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-- 05/लि0से0–22–61/2012का0 13755/ राँची, दिनांक-- 15 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड, विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मुख्य सचिव कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

Sd/- 14/12/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

Niranjan-14-12-12